



संस्थान काड : 4063

# कंचन डिग्री कालेज

मनेहरू - रायबरेली

सम्बद्धता : लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

पत्रांक : कं.०.डि.का/२०२५-२६/२६६

दिनांक ०१-१०-२०२५

सेवा में,

श्रीमान कुलसचिव

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ।

कुल सचिव का कार्यालय

डाक नं. ९५३८

दिनांक ०३/१०/२५

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-२२६००७

विषय:- बी०एस०सी० (एग्रीकल्चर) पाठ्यक्रम की विज्ञप्ति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा नवीन पाठ्यक्रम बी०एस०सी० (एग्रीकल्चर) में शिक्षक अनुमोदन की विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

संलग्नक :-

कंचन डिग्री कालेज  
प्रबन्धक  
कंचन डिग्री कालेज  
मनेहरू-रायबरेली

1. दो राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की छायाप्रति।

इंचाज (व्यवस्थापक)

०१/१०/२०२५

पर मरना किसने  
दी हमारी नियति  
सड़क पर मरना किसने  
हमारी नियति बना दी,  
जिम्मेदारों ने साध लिया  
तो उत्तर देगा कौन,  
डिंग क्षमता से अधिक  
परिवहन करने वाले  
के खिलाफ सार्वजनिक  
को नुकसान पहुंचाने  
पर पुलिस विभाग द्वारा  
गड वाहनों के खिलाफ  
के लिए जिम्मेदार अन्य  
के खिलाफ प्राथमिकी  
की जा रही है।  
पर अधिकारी इस मामले  
दूसरे पर ठीकरा फोड़ते  
नी जिम्मेदारियों से पल्ला  
उजर आ रहे हैं।  
पुलिस विभाग का कहना  
कार्रवाई का अधिकार  
परिवहन विभाग को  
कि प्रादेशिक परिवहन  
के अधिकारियों का  
है कि ओवरलोड  
के खिलाफ पुलिस  
शिकायत दर्ज कराने  
जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय  
प्राधिकरण व लोक  
विभाग की है।

**सूचना**  
सूचनार्थ मेरी पुत्री का पूर्व में समस्त विद्यालय अभिलेखों में उम्मे हबीबा सैय्यद मोहम्मद मियां अंकित है जो गलत है। मेरी पुत्री का सही नाम उम्मे हबीबा सैय्यद है तथा मेरी पत्नी और पुत्री की माता का सही नाम फरहीना खातून है। जो सही है। मोहम्मद मियां सैय्यद, पुत्र सैय्यद अली, फ्लैट नं.-194 बरौरा हुसैनबाड़ी, बालागंज, लखनऊ।

सूचनार्थ मेरे बैंक खाता सं. 50125779151 इंडियन बैंक शाखा डालीगंज लखनऊ में त्रुटिवश मेरा नाम कृष्णावती अंकित है जबकि मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम कृष्णा अंकित है जोकि सत्य एवं सही है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही महिला के है भविष्य में मुझे कृष्णा के नाम से जाना व पहचाना जाये। श्रीमती कृष्णा पत्नी स्व.वासुदेव निवासिनी म.न.503/23 वरौरालिया, मनकामेश्वर मंदिर डालीगंज लखनऊ

**कंचन डिग्री कॉलेज मनेहरु रायबरेली**  
(सम्बद्ध: लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ)  
--आवश्यकता है प्रवक्ताओं की--

बी०ए०सी० एजी० में	शास्य विज्ञान-2, मृदा विज्ञान-2, उद्यान विज्ञान-2, कोट विज्ञान-1, कृषि प्रसार-1, पादप रोग विज्ञान-1, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान-1, अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन-1, पद।
-------------------	---

योग्यता Lucknow University/UGC/NCTE परिनियमावली के अनुसार ।  
अभ्यर्थी दिनांक 10/10/2024 तक उपरोक्त पते एवं ई-मेल Email-kdcrbl@gmail.com/ एवं स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन कर सकते है ।

प्रबन्धक  
9452080374, 9919692823

चूंकि उक्त नामित यात्री ने आपके विरुद्ध याचिका संस्थित किया है। जैसा कि याचिका में वर्णित है। आपको एतद द्वारा इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आप पर इस समन की तामीली से तीन सप्ताह के भीतर न्यायालय की अनुमति से वकालतनामा दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है। और चूंकि वाद 20247 15/10/2024 दिन न्यायाधीश के निर्देश के लिए रखा जाएगा।  
आपको एतदद्वारा 15/10/2024 दिन दोपहर पूर्व 10 बजे यात्री के दावा का उत्तर देने के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित के लिए समन किया जाता है। और यह और सूचना ग्रहण कीजिए कि यदि आप अपनी व्यक्तिगत उपस्थित या वकालतनामा में असफल जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है। या यदि आप पूर्व वर्णित दिन को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित रहने में असफल रहते है। तो याचिका को उस दिन किसी पश्चातवर्ती दिन को अप्रतिरिक्षित रूप में अमान्य किये जाने का आदेश दिया जा सकता है और आप अपने विरुद्ध डिक्री या आदेश पारित किये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।  
25/09/2024 के दिन को पूर्वोक्त सम्मुख न्यायाधीश से लिखा गया ।  
पदमिहित अधिकारी

पुत्रगण अब्दुल रहीम सिद्दीकी के अभद्र व्यवहार व क्रिया-कलाप के कारण अपने भवन संख्या-599 सुन्दरम, बुद्धेश्वर विहार कालोन राजाजीपुरम, लखनऊ से बेदखल करके सम्बन्ध विच्छेद करती हूँ। आज से उक्त दोनों पुत्रों एवं उनके परिवारजनों के किसी भी कार्य व लेन-देन के प्रति मेरा व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों का कोई दायित्व न होगा उसके यह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

**सूचना**  
सूचनार्थ, मैं राम कुमार पुत्र शिवराम निवासी ग्राम दुगौल पोस्ट काकोरी जनपद लखनऊ हाल पता 447/420 लोधपुरव ठाकुरगंज लखनऊ का हूँ। मेरा नाबालिग पुत्र शिखर यादव व पुत्री श्रेया यादव कक्षा 10वीं के छात्र/छात्रा हैं। मेरे दोनों बच्चों के हाईस्कूल रजिस्ट्रेशन फार्म में माता का नाम VIDHYA अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि पुत्र शिखर यादव व पुत्री श्रेया यादव के हाईस्कूल के रजिस्ट्रेशन फार्म में माता का नाम VIDYA जो सही है। अतः मेरे बच्चों की माता का नाम VIDYA अंकित कर दज किया जाना न्याय संगत होगा।

**कंचन शकुला**  
प्रबन्धक  
कंचन डिग्री कालेज  
मनेहरु-रायबरेली